


उपर्युक्त कानूनी प्राधानों से स्पष्ट है कि धारा 48(2) राजस्थान कारतकाली अधिनियम 1955 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी एक ही मूँषिधारी के अधीन समान वर्ग के कारतकाली द्वारा मूँषि का विनिमय करने के लिए ही अधिकृत है, और इस दशा में मूँषिधारी की लिखित सहमति आवश्यक है। मूँषिधारी की सहमति के द्वारा कारतकार अपनी मूँषि का विनिमय कर सकता है। यहां पर प्रकार मूँषिधारक व कारतकार के मध्य है। इस कारण राकीय सिवाइडवक मूँषि का विनिमय करने की स्थिति में तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी मूँषिधारक नहीं है।

48 Exchange of land- (2) A landholder may in agreement with a tenant give such tenant land other than land which is let, in exchange for land which is included in such tenant's holding.

प्रकार है:-
राजस्थान कारतकाली अधिनियम 1955 की धारा 48(2) के प्राधान इस प्रकार है:-
रिकॉर्ड है।
हैक्टयर मूँषि किस्म बरानी वाके ग्राम श्यापुरा में राजकीय खातेदारी में दर्ज रकबा 3.77 हैक्टयर मूँषि किस्म सिवाइडवक व खसरा नम्बर 365 रकबा 1.34 जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 370 रकबा 0.32 है, वाके ग्राम करमापुर में स्थित है, दौधमूल पुत्र सावलिथा मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 1.70 व खसरा नम्बर 738/280 धमाई द्वारा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया वहन पर मनन किया गया। जावे।

13.09.2022 को निरस्त फरमावे एवम अधीनाट अधीन स्वीकार फरमाई स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक धारा 48 की उप धारा 2 में प्राधान पर श्रवणाधिकार है। अतः अधीन निरस्त कर दिया गया। जबकि राजस्थान कारतकाली अधिनियम 1955 की अदालत मातहत द्वारा क्षणाधिकार से बाहर होने के कारण प्राधान पर को हैक्टयर ग्राम श्यापुरा तहसील सवाई माधोपुर में परिवर्तन किया जावे, परन्तु खसरा नम्बर 370 व खसरा नम्बर 365 में से कुल खसरा नम्बर 2.02 1.70 हैक्टयर व खसरा नम्बर 738/280 रकबा 0.32 हैक्टयर के स्थान पर आशय प्रेश किया कि अधीनाट की खातेदारी मूँषि खसरा नम्बर 279 रकबा कथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर में इस अधिवक्ता अधीनाट द्वारा अधीन मीना के अधिकार तथ्यों को दोहराते हुए सरिस्ता का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। कारतकाली अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वाद जावे रिपोर्ट प्रेश हुई रिपोर्ट सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 13.09.2022 के निरस्त धारा 225 राजस्थान अधिवक्ता अधीनाट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी



राजस्व अधीन प्राधिकारी, सवाई माधोपुर
(नियम 26)
फर्द अहकाम
FORM No. III

नाम:
वैधमाल:
राज्य कारतकाली अधि 1955 अन्तर्गत धारा 225
सं. 72 सं. 2022
रकार:
वनाम:
मुकाम:
इस या कारवाही मय इतिहास जल

नम्बर व तारीख अह नाम
जो इस दल को
तामील में जारी है



